न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O), सिवाना

पीठासीन अधिकारी श्रीमती कुसुमलता चौहान आर.ए.एस

प्रकरण संख्या :– 110/2019

प्रार्थी

भवानीसिंह पुत्र जेठूसिंह जाति राजपूत निवासी हरमलपुरा पादरडी कल्ला तहसील सिवाना जिला बाडमेर

बनाम

विप्रार्थीगणः–

राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

1. श्री कैलाशपुरी अधिवक्ता प्रार्थी

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 22.01.2021

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के मुख्य तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की राजस्व गांव पादरडी कल्लां तहसील सिवाना के खेत खसरा संख्या 546 रकवा 5.8761 हैक्टयर भूमि आई हुई है उक्त भूमि पैतृक भूमि है जिसमें प्रार्थी का 1/2 हिस्सा संयुक्त खातेदारी दर्ज है। प्रार्थी के पिता स्व. जेठूसिंह के नाम दर्ज थी । प्रार्थी के पिता के देहान्त के बाद हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत उक्त भूमि पर जेठूसिंह के वारिसान के नाम फौतदगी नामान्तरकरण हल्का पटवारी को भरते समय हल्का पटवारी द्वारा सहवन से प्रार्थी का नाम भवानीसिंह का नाम भवसिंह लिख दिया गया जबकि भवानीसिह लिखना था समस्त राजकीय दस्तावेज में प्रार्थी का नाम भवानीसिंह अंकित है परन्तु राजस्व रेकर्ड में उक्त लिपिकीय त्रुटि होने के कारण प्रार्थी को बैंक से ऋण इत्यादि लेने में भारी परेशानी का सामना करना पडता है जिस हेतु दुरूस्ती बाबत उक्त अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का वास्ते रेकर्ड दुरूस्ती पेश किया गया।

तहसीलदार सिवाना द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि माफिक इस्तदुआ आदेश किया जाता है तो राज्य सरकार के हित पर कोई विपरित प्रभाव नहीं पड़ेगा ग्राम पंचायत पादरडी कल्लां द्वारा अपने प्रमाण पत्र क्रमांक एस.पी./01 दिनांक 27.06.2019 द्वारा प्रार्थी का नाम भवसिंह के स्थान पर राजस्व रेकर्ड में भवानीसिंह किये जाने की अभिशंषा की गई ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2021.03.16 12:36:12 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड (अधिकारी) सिवाना (बाड़मेर)

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

हमने पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात का गहराई से अवलोकन किया। प्रार्थी के समस्त राजकीय दस्तावेजात यथा परिवार राशन कार्ड,आधार कार्ड भारतीय स्टेट बैंक शाखा सिवाना द्वारा जारी बैंक की पासबुक,भामाशाह कार्ड ,मतदाता पहचान पत्र आदि में प्रार्थी का नाम भवानीसिंह पुत्र जेठूसिंह अंकित है । अतः उक्त अशुद्ध प्रविष्टि को शुद्ध किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की खातेदारी भूमि मौजा पादरडी कलां पटवार क्षेत्र कुसीप भू.अ.नि. क्षेत्र थापन तहसील सिवाना के खेत खसरा नम्बर 546 रकबा 5.7761 हैक्टयर के राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण संख्या 1035 दिनांक 20.04.2019 द्वारा अंकित अशुद्ध नाम "भवसिंह " के स्थान पर "भवानीसिंह" शुद्ध किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार सिवाना को आदेशित किया जाता है। तहसीलदार सिवाना आदेशानुसार राजस्व रेकर्ड में शुद्धि कर पालना प्रस्तुत करे ।

आदेश आज दिनांक 22.01.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)
उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O) सिवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2021.03.16 12:36:12 IST
Reason: SelfAttested